समक्षः– विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांक– 05.01.2026

अंतिम तर्क– 21.01.2026

आदेश दिनांक– 28.01.2026

प्रकरण क्रमांक BSP/25097

श्री आर. एन. साकेत,

पन्नानगर, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.)

(बी.पी. नं. 1004157189)

..................परिवादी

/विरूद्ध/

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग–पश्चिम,
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 नेहरूनगर, बिलासपुर (छ0ग0)
2. सहायक अभियंता (पश्चिम जोन)
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 नेहरूनगर, बिलासपुर (छ0ग0)

.... अनुज्ञप्तिधारी

समक्षः– मान0 श्री सी0एम0बाजपेयी (अध्यक्ष)

मान0 श्रीमती प्रीति रानी साव (सदस्य)

/आदेश/

(द्वारा – प्रीति रानी साव, सदस्य)

1. **छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 के अनुसार परिवादी ने खराब मीटर बदलने का (ऑनलाइन) निवेदन किया है।**
2. **परिवादी का परिवाद पत्र में इस प्रकार है किः–**

परिवादी द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए निवेदन किया गया है कि मैं आर. एन. साकेत और मेरा निवास जरा भाटा पन्ना नगर बिलासपुर (छ. ग) में है मेरे घर में एक कनेक्शन लगा है जिसका सर्विस क्रमांक 1004157189 हैं जिसका में उपयोग करता हूं मेरे घर में विगत कई माहो से मीटर बंद होने के कारण एवरेज बिल देकर मुझे अधिक से अधिक बिल दिया जा रहा है जिसका मूल्य 1300 से 1400 रुपए हर माह मुझे लिया जा रहा है जबकि यह मूल्य मुझे गर्मी के दिनों में आता था इसके कारण अनावश्यक रूप से मुझे अधिक से अधिक बिल पटान पड़ रहा है मैं इस संबंध में संबंधित कार्यालय सहायक यंत्री नेहरू नगर जोन में जाकर अनेकोवा इस संबंध में मैंने अपनी समस्या को वहां सुनाया किंतु उनके द्वारा मेरी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और साथ ही ना ही कोई गंभीरता पूर्वक मेरे समस्या पर कोई कार्य किया जा रहा है और आवेदन लेकर

जाने पर वह डायरी में नोट करके बोलते हैं कि आपका घर का मीटर चेंज हो जाएगा लेकिन आज दिनांक तक कोई भी मीटर मेरे घर का चेंज नहीं हुआ है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कः–

सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा मीटर बदलने संबंधी शिकायत की गई थी। चूंकि मीटर बदल दिया गया है इसलिए मेरी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने की कृपा की जाय ।

4. परिवाद पत्र, जवाबदावा आरोपित/प्रत्यारोपित, तथ्यों/आधारों, संलग्न दस्तावेजों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्क के आधार पर योग्य निष्कर्ष तक पहुॅचने हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1. **क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित नहीं किया जा रहा है?**
2. **क्या परिवादी अनुज्ञप्तिधारी से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?**

5. <u>फोरम के निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष :–</u>

1. प्रकरण के अभिलेखो में अनुज्ञप्तिधारी कमांक 1 व 2 छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सेवारत् कर्मचारी हैं व परिवादी उक्त संस्थान का विद्युत उपभोक्ता है। परिवादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संस्थान से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया, जिसका विद्युत कनेक्शन कमांक **1004157189** है।
2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी को प्रति माह पूर्व से अधिक खपत का विद्युत देयक प्रदाय किया जा रहा है। जिसे नियमानुसार पुनरीक्षित करने हेतु परिवादी के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में विधिवत् ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया गया था।
3. फोरम द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लिए जाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खराब मीटर को बदलकर नया मीटर स्थापित किए जाने संबंधित तर्क परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः यह माना उचित होगा कि परिवादी के खराब मीटर बदलने संबंधित समस्या का निराकरण कर दिया गया।
4. चूंकि अनुज्ञप्तिधारी कमांक 1 व 2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.क.मर्या. के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा किये गये समस्त कार्यवाही अपने पदीय दायित्वों व पदीय कर्तव्यों के हैशियत से किये जाने से अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों का जो भार है, वह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.कं.मर्या. का दायित्वधीन के अंतर्गत है।

6. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर इस फोरम की सुविचारित मत एवं **छ.रा.वि.प्र.संहिता 2011** एवं **छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 06.03.2023** के अंतर्गत परिवादी अपना परिवादपत्र, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः परिवादी का परिवाद पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाता है, और अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता हैः–

1. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी के खराब मीटर बदलने संबंधित समस्या का निराकरण कर दिया गया मानते हुए प्रकरण को निराकृत माना जाता है।

तदानुसार आदेश पारित किया गया।

(प्रीति रानी साव)
सदस्य

(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष